

प्रकरण संख्या :-143/2018 रे.वाद (2018/00311)
अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

दर्ज दिनांक 20.12.2018

शीर्षक

मांगु पिता छोगा जाट निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

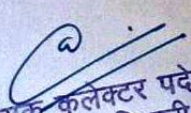
वादी

बनाम

1. रामेश्वर पिता दयालाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. लादू पिता दयालाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. मीना पुत्री दयालाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मीठूड़ी पुत्री दयालाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. सोनी बेवा दयालाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. टमू ना0बा0ब0वि0 पुत्री स्व0 किशन माता डाली जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. डाली बेवा किशन जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. प्यारी बेवा हरलाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. मांगीलाल मुत0 हरलाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. शंकर पिता सुरजमल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. नानु पिता टेका जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. मांगीलाल पिता रूपलाल पारीक निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. भवंर पिता लोबचन्द जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
14. रामी बेवा मिठुलाल जाट (सुथार) निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
15. जी0एस0एस0एस0 लि0 जरिये व्यवस्थापक नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
16. सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा गंगापुर जरिये मैनेजर सा0 गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाड़ा मु0गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता वादी:- श्री लक्ष्मीलाल जाट
पेरोकार सरकार


सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 26.02.2021

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 06.01.2020 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम नांदशा के पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से 14 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1986 रकबा 0.05 हे०, आराजी संख्या 1988 रकबा 0.09 हे०, आराजी संख्या 1989 रकबा 0.15 हे० कुल किता 03 कुल रकबा 0.29 हे० भूमि खाता संख्या 622 जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 पर स्थित का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी०डी०/2019/255 दिनांक 23.10.2020 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

ग्राम नांदशा के पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से 06 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1986 रकबा 0.05 हे०, आराजी संख्या 1988 रकबा 0.09 हे०, आराजी संख्या 1989 रकबा 0.15 हे० कुल किता 03 कुल रकबा 0.29 हे० भूमि नवीन खाता संख्या 680 जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 पर स्थित का विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादीगण द्वारा स्वीकार है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	मांगु पुत्र छोगा जाट सा० देह खातेदार	नांदशा (खाता संख्या 680)	1989/2	0.0362
		योग	1	0.0362
2	मीदुड़ी 1/5 मीना 1/5 रामेश्वर 1/5 लादू 1/5 पिता दयालाल सोनी पत्नी दयालाल 1/5 जाट सा० देह	नांदशा (खाता संख्या 680)	1989/3	0.0362
		योग	1	0.0362
3	1. ना०बा० टमू पुत्री किशन सरंक्षक माता डाली पि० 1/18 सा० देह 2. डाली पत्नी किशन 1/18 जाट सा० देह 3. नानू पुत्र टेका 1/18 जाट सा० देह 4. प्यारी पत्नी हरलाल 1/9 जाट सा० देह 5. भंवरलाल पुत्र लोभचंद 1/12 जाट सा० देह 6. मंगीलाल गोदपुत्र हरलाल 1/9 जाट सा० देह रहन जी०एस०एस० निवासी नांदशा 7. मांगीलाल पुत्र रूपलाल 1/9 पारीक सा० देह 8. रामी पत्नी मीदुलाल 1/12 सूथार सा० देह 9. शंकर पुत्र सूरजमल 1/3 जाट सा० देह	नांदशा (खाता संख्या 680)	1989/1 1989/4 1986 1988	0.0400 0.0376 0.05 0.09
		योग	4	0.2176

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा

2.

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

(विकास पंचोली)

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा



निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा

3.

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS)
प्रकरण संख्या :-143/2018 रे.वाद (2018/00311) दर्ज दिनांक 20.12.2018
अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

मांगु पिता छोगा जाट निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. रामेश्वर पिता दयालाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. लादू पिता दयालाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. मीना पुत्री दयालाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मीटूड़ी पुत्री दयालाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. सोनी बेवा दयालाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. टमू ना0बा0ब0वि0 पुत्री स्व0 किशन माता डाली जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. डाली बेवा किशन जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. प्यारी बेवा हरलाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. मांगीलाल मुत0 हरलाल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. शंकर पिता सुरजमल जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. नानु पिता टेका जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. मांगीलाल पिता रूपलाल पारीक निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. भवंर पिता लोबचन्द जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
14. रामी बेवा मिटुलाल जाट (सुथार) निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
15. जी0एस0एस0एस0 लि0 जरिये व्यवस्थापक नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
16. सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा गंगपुर जरिये मैनेजर सा0 गंगपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाड़ा मु0गंगपुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता वादी:- श्री लक्ष्मीलाल जाट
पेरोकार सरकार

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय दिनांक : 26.02.2021
डिक्री दिनांक : 26.02.2021

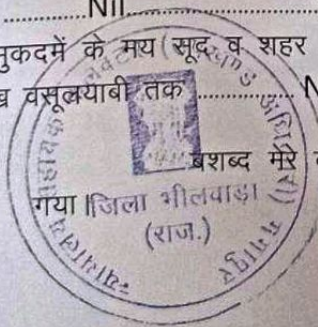
1.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री लक्ष्मीलाल जाट एवं पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	मांगु पुत्र छोगा जाट सा0 देह खातेदार	नांदशा (खाता संख्या 680)	1989 / 2	0.0362
		योग	1	0.0362
2	मीठुड़ी 1/5 मीना 1/5 रामेश्वर 1/5 लादू 1/5 पिता दयालाल सोनी पत्नी दयालाल 1/5 जाट सा0देह	नांदशा (खाता संख्या 680)	1989 / 3	0.0362
		योग	1	0.0362
3	1. ना0बा0 टमू पुत्री किशन सरंक्षक माता डाली पि0 1/18 सा0देह 2. डाली पत्नी किशन 1/18 जाट सा0देह 3. नानू पुत्र टेका 1/18 जाट सा0देह 4. प्यारी पत्नि हरलाल 1/9 जाट सा0देह 5. भंवरलाल पुत्र लोभचंद 1/12 जाट सा0 देह 6. मंगीलाल गोदपुत्र हरलाल 1/9 जाट सा0 देह रहन जी0एस0एस0 निवासी नांदशा 7. मांगीलाल पुत्र रूपलाल 1/9 पारीक सा0देह 8. रामी पत्नी मीठुलाल 1/12 सूथार सा0देह 9. शंकर पुत्र सूरजमल 1/3 जाट सा0 देह	नांदशा (खाता संख्या 680)	1989 / 1 1989 / 4 1986 1988	0.0400 0.0376 0.05 0.09
		योग	4	0.2176

नीजNil.....मुबलिग Nilबाबत Nilखर्चा इस मुकदमें के मय (सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।



बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.02.2021 को जारी किया गया। जिला भीलवाड़ा (राज.)

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा